फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राधिका देवी, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

दिलिप कुमार बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा न0 26..../2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.19	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से जांच बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सूरजगढ़ के ख.नं. 1307 रकबा 3.93 है0 भूमि में कृष्ण कुमार पुत्र जयलाल सिंह हिस्सा 101/786 जाति जाट सा. रघुनाथपुरा दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात दसवीं की अंकतालिका, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, घरेलु कनेक्शन इत्यादि में प्रार्थी का नाम दिलिप कुमार धनखड़ दर्ज है। समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 08.01.19 के इश्तहार पृष्ठ संख्या 12 पर नाम परिर्वतन के संबंध में प्रकाशन छापा है कि दिलिप कुमार व कृष्ण कुमार दोनों मेरे ही नाम है भविष्य में मुझे कृष्ण कुमार के स्थान पर दिलिप कुमार धनखड़ के नाम से जाना व पहचाना जाये। तहसीलदार की ओर से प्रार्थी के नाम दुरूस्ती की अभिशंषा की गई है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सूरजगढ़ के ख.नं. 1307 रकबा 3.93 है0 भूमि में कृष्ण कुमार पुत्र जयलाल के बजाय दिलिप कुमार पुत्र जयलाल नाम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.04 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner